

8/2/17

वकील जार्यो उपस्थित। वह जार्यो सख्या 1, 2, 10, 12 व 14 के नोटिस
एव शर्तों पर प्रतिमा तलका का प्रस्तुती के लिए समय चाहे हैं। इसके
लिए उन्हें दिनांक 01-05-2015 तक 13 अवसर दिये जा चुके हैं। अगले
समय दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण पर आदेश 7 नियम 11
(च) के प्रावधानानुसार कार्यवाही शबेट की जाती है। जिससे फैसला
शुमार होकर नम्बर से कर है। बाद पदर दारिद्व है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

